गैर कानूनी बेदखली के खिलाफ शिकायत कैसे करे?

Centre for CIVIL SOCIETY
Social Change through Public Policy

1 (अगर बेदखली पुलिस अधिकारियों ने की है तो उस इलाके के थाना प्रभारी का ब्यौरा|)

या

2 (अगर बेदखली नगर निगम के अधिकारियों ने की है तो उस नगर निगम के आयुक्त का ब्यौरा)

शिकायत

(थाना प्रभारी का नाम.....)

थाना प्रभारी

(पुलिस थाने का नाम...) पुलिस थाना

(थाने का पता.....)

दिल्ली (पिन कोड....)

(आयुक्त का नाम.....)

आयुक्त

(दक्षिणी/उत्तरी /पूर्वी दिल्ली नगर निगम...)

(नगर निगम का पता.....)

दिल्ली (पिन कोड....)

तारीख: _____

विषय: (बेदखली की तारीख...) को (पथ विक्रेता का नाम/ अगर एक से ज्यादा विक्रेताओं को बेदखल किया गया है, तब उनकी संख्या ....) के (बेदखली की जगह...) से गैर कानूनी बेदखल किये जाने के खिलाफ शिकायत |

आदरणीय श्री/श्रीमती (थाना प्रभारी/नगर निगम आयुक्त का नाम....)

मैं (बेदखली की तारीख....) को (पथ विक्रेता का नाम/ अगर एक से ज्यादा विक्रेताओं को बे-दखल किया गया है, तब उनकी संख्या....) एक विक्रेता/विक्रेताओं के (बेदखली की जगह....) से गैर-कानूनी बेदखल किये जाने के सिलसिले में लिख रहा /रही हूं ।

_____

_____

_____

_____

_____

मैं आपसे इस संबंध में निम्नलिखित पर ध्यान देने का अनुरोध करता/करती हूं:

1. पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, (Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act) 4 मार्च, 2014 को भारत की संसद में अधिनियमित किया गया था और भारत सरकार ने 1 मई, 2014 को इसे अधिसूचित किया था | यह शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करता है।

निम्नलिखित पंक्तियों में बेदखल किए जाने वाली घटना के बारे में संक्षेप में बताएं |

- बेदखली की तारीख का उल्लेख करें;
- अगर इसके लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों के बारे में जानकारी है तो उनके नाम और संबंधित सरकारी दफ्तर का उल्लेख करें;
- इससे प्रभावित हुए विक्रेताओं के नाम और संख्या का उल्लेख करें;
- जिस कारण से हटाया गया है उसका उल्लेख करे;

(अगर विक्रेताओं की सूची लंबी है तो उन्हें सामूहिक रुप से 'पीड़ित विक्रेता' कहा जा सकता है। इस तरह के सभी प्रभावित विक्रेताओं की एक सूची शिकायत के साथ अनुबंध अनुलग्नक के तौर पर लगायी जाएगी।)

(सबूत के तौर पर, बेदखल किए गए विक्रेता/विक्रेताओं के नाम कि रसीद लगाए, जिसकी तारीख़ एक मई, 2014 से पहले की है |)

2. पीड़ित विक्रेता/विक्रेताजन (जितने सालों से बिक्री कर रहे है उसकी संख्या...) से, पथ विक्रेता अधिनियम के अधिसूचित होने से पहले, अपनी नियत जगहों पर विक्रय करते आ रहे हैं |(अनुलग्नक के तौर पर __.__.____ दिनांकित रिसीट/चालान लगायी जा रही है)

3. उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी को संबंधित क्षेत्र के सभी मौजूदा पथ विक्रेताओं की पहचान करने की ख़ातिर सर्वेक्षण करने के लिए बाध्य करती है। इसमें कहा गया है:

> 3. पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण और बेदखली या पुनःस्थापन से संरक्षण-
>
> (1) **नगर विक्रय समिति,** ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, **अपनी अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र में विद्यमान सभी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण करेगी** और पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा ।
>
> (**जोर दिया जाता है**)

4. उक्त अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद से विक्रेताओं के लिए संबंधित टाउन वेडिंग कमेटी द्वारा (बेदखली का स्थान...) में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

5. सर्वेक्षण किए जाने से पहले पीड़ित विक्रेताओं की बेदखली उक्त अधिनियम की धारा 3 (3) का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है:

> "*3.* पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण और बेदखली या पुनःस्थापन से संरक्षण-
>
> (3) किसी भी पथ विक्रेता को, उपधारा (1) के अधीन **विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण के पूरा होने और सभी पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र जारी होने तक, यथास्थिति, बेदखल या पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा** ।
>
> (**जोर दिया जाता है**)

6. अधिनियम की धारा 18 में आगे कहा गया है कि विक्रेताओं को 30 दिन का नोटिस देने के बाद, और स्थानीय प्राधिकरण के आदेश पर ही बेदखल किया जाएगा। इसमें कहा गया है।—

(बेदखली के उन मामलों के लिए नोटिस का प्रावधान शामिल करें जब कोई नोटिस जारी नहीं किया गया या बेदखली की तारीख से 30 दिन पहले नोटिस जारी नहीं किया गया।)

"18. पथ विक्रेताओं का पुनःस्थापन या बेदखली-

(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे पथ विक्रेता को, जिसका विक्रय प्रमाणपत्र धारा 10 के अधीन रद्द कर दिया गया है या जिसके पास विक्रय प्रमाणपत्र नहीं है और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना विक्रय करता है, ऐसी रीति में, जो स्कीम में, विनिर्दिष्ट की जाए, बेदखल करेगा ।

(3) **किसी भी पथ विक्रेता को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा** विक्रय प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट स्थान से तब तक पुनःस्थापित **या बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे उसके लिए तीस दिन की सूचना ऐसी रीति में, जो स्कीम में, विनिर्दिष्ट की जाए, न दे दी गई हो ।**

(जोर दिया जाता है)

7. बेदखली निम्नलिखित कारणों से गैर कानूनी है:

    1. अधिनियम की धारा 3(1) के लिहाज से कोई सर्वेक्षण पूरा नहीं किया गया।
    2. अधिनियम की धारा 3(3) के तहत कोई विक्रय प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया।
    3. चूंकि विक्रय प्रमाणपत्र जारी नहीं हुआ, अधिनियम की धारा 10 के तहत विक्रय प्रमाणपत्र रद्द करने का सवाल ही नहीं उठता।
    4. अधिनियम की धारा 18(3) के लिहाज से, विक्रेताओं/विक्रेता को बेदखली की तारीख से 30 दिन पहले नोटिस नहीं दिया गया।

8. पीड़ित विक्रेताओं/विक्रेता को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है क्योंकि उन्हें उनकी विक्रय की जगह पर जाने और विक्रय जारी नहीं रखने दिया जा रहा |

9. पीड़ित विक्रेताओं/विक्रेता के गैरकानूनी हटाए जाने से विक्रेताओं के जीविकार्जन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है | इस अधिकार कि सुरक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत की गयी है | इन पीड़ित विक्रेताओं/विक्रेता को मनमाने तरीके से हटाए जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के उनके अधिकार का उल्लंघन है।

10. उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे इस शिकायत का गौर करने और सात दिन के भीतर निम्नलिखित कदम उठाने का अनुरोध करता/करती हूं |:

    1. संबंधित अधिकारियों को पीड़ित विक्रेताओं/विक्रेता के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई ना करने और (जगह का नाम...) पर बिक्री करने की मंजूरी देने का निर्देश देना;

(बेदखली के उन मामलों के लिए नोटिस का प्रावधान शामिल करें जब कोई नोटिस जारी नहीं किया गया या बेदखली की तारीख से 30 दिन पहले नोटिस जारी नहीं किया गया।)

2. पीड़ित विक्रेताओं/विक्रेता को हुए आर्थिक नुकसान के निवारण के लिए न्याय के हित में उन्हें मुआवजा देना;
3. दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करना; और
4. पीड़ित विक्रेताओं/विक्रेता के मौलिक एवं कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के लिए जरूरी कोई अन्य कार्रवाई करना।

ऐसा ना होने की स्थिति में पीड़ित विक्रेताजन/विक्रेता उचित कानूनी उपायों का सहारा लेने के लिए विवश होंगे।

सादर

(शिकायत कर्ता का हस्ताक्षर...)

(शिकायत कर्ता का नाम...)

(शिकायत कर्ता का पता...)

कॉपी:

1. श्री एस.एन. श्रीवास्तव, पुलिस आयुक्त, दिल्ली, एमएसओ बिल्डिंग, इंद्रप्रस्थ मार्ग, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली, दिल्ली-110095
2. श्री विपन कुमार गर्ग, उप सचिव, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 10 वीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली-110001
3. आयुक्त का नाम, आयुक्त, उत्तरी दिल्ली/दक्षिणी दिल्ली/पूर्वी दिल्ली नगर निगम, [नगर निगम का पता]
4. श्री राजीव यदुवंशी, प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय I.P. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
5. श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, सी - विंग, डॉ. मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011

(हस्ताक्षरित शिकायत की एक प्रति ऊपर नामांकित किये गए अधिकारियों के पास भी जानी चाहिए)